उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14. अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्याः 1349/मा0सं0 (04)/उ0नि0लि0/2015–3(8)–मा0सं0 (04)/2015 दिनांक 24 अगस्त, 2015

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– स्थानीय बहिर्गमन भत्ता / वाहन भत्ता *(Local Outdoor Duty Allowance)* की दरों का पुनरीक्षण।

उपर्युक्त विषयक पूर्ववर्ती परिषदादेश सं० 1693–पी/राविप–तीस–77पी/1986 दिनांक 11 नवम्बर, 1988, सं०–2034–पी/रा0वि0प0–30–75पी/86 दिनांक 31.12.1988 एवं सं०–276–पी/रा0वि0प0–तीस–35पी/86 दिनांक 12.03.1992 द्वारा निर्गत आदेशों का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा स्थानीय बहिर्गमन भत्ता/वाहन भत्ता की अनुमन्यता निम्नवत् प्रदान की गई थी :–

क्रम सं0	वर्ग	लखनऊ में	अन्य महानगर बरेली और मेरठ को सम्मिलित करते हुए	अन्य जिला मुख्यालय में।
1.	अधिशासी अभियंता के वेतनमान में या उनके समकक्ष व उससे उच्च निजी वाहन मोटर कार रखने वाले अधिकारी	रू0 560/– प्रतिमाह	रू0 480/– प्रतिमाह	रू0 360/– प्रतिमाह
2.	निजी स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड आदि रखने वाले अधिकारी/ अवर अभियंता	रू0 200/– प्रतिमाह	रू0 200/– प्रतिमाह गोरखपुर, मुरादाबाद सहित उपरोक्त शहर	रू0 160/– प्रतिमाह
3.	परिषद सचिवालय एवं केन्द्रीय लेखा कार्यालय के मोटर साइकिल/स्कूटर/ मोपेड रखने वाले अराजपत्रित कर्मियों को	रू0 200/– प्रतिमाह	––	––

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश संख्या–520–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2015 दिनाँक 04.07.2015 एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनाँक 22.07.2015 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार स्थानीय बहिर्गमन भत्ता/वाहन भत्ता *(Local Outdoor Duty Allowance)* की

24.8.15

(क्रमशः....2)

संशोधित दरें निम्नवत् अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0सं0	वर्ग	वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दर
1.	अधिशासी अभियंता पद या उसके समकक्ष व उससे उच्च ग्रेड–वेतन के निजी वाहन मोटर कार रखने वाले अधिकारी	रू0 1600/– प्रतिमाह
2.(अ)	– निजी स्कूटर/मोटर साइकिल आदि रखने वाले अधिकारी/अवर अभियंता	रू0 700/– प्रतिमाह
(ब)	– मोपेड रखने वाले	रू0 300/– प्रतिमाह
3.(अ)	– परिषद सचिवालय एवं केन्द्रीय लेखा कार्यालय के मोटर साइकिल/स्कूटर रखने वाले अराजपत्रित कर्मियों को	रू0 700/– प्रतिमाह
(ब)	– मोपेड रखने वाले	रू0 300/– प्रतिमाह

3. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अनुरूप उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 मे जिन कार्मिकों को किसी प्रकार की वाहन सुविधा प्राविधानित नहीं है, के लिए स्थानीय बहिर्गमन भत्ता(लोकल आउटडोर ड्यूटी एलाउन्स) की दरें प्रस्तर–2 में तालिका के अनुसार लागू किया जाता है। उपरोक्त संशोधित दरें दिनाँक 01.08.2015 की तिथि से लागू होंगी। उपरोक्त भत्ते की अनुमन्यता के सम्बन्ध में निर्दिष्ट अन्य शर्तें आदि यथावत् लागू रहेंगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से ।

सं0 1349–(1)/म0सं0–04/उ0नि0लि0/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष,उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव ।
2. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक(कार्मिक/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता(स्तर–I/II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 अनपरा/ओबरा(सोनभद्र), पारीछा(झांसी), हरदुआगंज–कासिमपुर(अलीगढ़), पनकी(कानपुर)।
6. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता(मा0सं0/वित्त/लेखा/पी0पी0एम0एम0/जानपद/जानपद–नवपरियोजनायें/तापीय परिचालन/ ईधन /नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य) उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. सलाहकार(चिकित्सा), उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. कम्पनी सचिव, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की 166वीं बैठक, जो दिनाँक 22.07.2015 को सम्पन्न हुई, के एजेण्डा आईटम संख्या–29 के अनुपालन में।
9. मुख्य परियोजना प्रबन्धक(प्रगति), उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46–बी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को निगम की वेबसाईट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
10. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. उपमहाप्रबन्धक/अधी0अभि0(मा0सं0–01/02/03/04/05/06)/(औ0सं0/रिफार्म/टाण्डा वाइंडिग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण), उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. कट फाईल।

आज्ञा से,

20.8.15

(मनोज कुमार सक्सेना)
अधीक्षण अभियन्ता(मा0सं0–04)

4-C:\Users\hp\Documents\Belal Arbi\Allowances Loda Cycle-Medical\Loda Orders doc.docx